38

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1587-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-3-2014 - पारित व्दारा - तहसीलदार उचेहरा जिला सतना - प्रकरण कमांक 5 अ-5/12-13

बाल्मीक सिंह पुत्र सुर्दशन सिंह
ग्राम कुँदहरी कलॉ
तहसील उचेहरा जिला सतना --आवेदक

विरूद्ध

1- ठाकुरदीन सिंह पुत्र सुदर्सन सिंह
ग्राम कुँदहरी कलॉ
तहसील उचेहरा जिला सतना
2- मध्य प्रदेश शासन -----अनावेदकगण

(आवेदक के श्री छत्रपाल सिंह अभिभाषक)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक -11 -01 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 5 अ-5/12-13 में पारित आदेश दिनांक 7-3-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार उचेहरा को आवेदन देकर ग्राम कुदहरी कलां की भूमि सर्वे कमांक 432/1 रकबा 0.397 हैक्टर के नक्शे में बटा नंबर कायम कर तरमीम करने की मांग रखी। तहसीलदार उचेहरा जिला सतना ने प्र0क0 5 अ-5/2012-13

पॅजीबद्ध किया तथा पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक से मौके की जांच कराकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश दिनांक 7-3-2014 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायाल के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने तहसीलदार उचेहरा को आवेदन देकर ग्राम कुदहरी कलां की भूमि सर्वे कमांक 432/1 रकबा 0.397 हैक्टर के नक्शे में बटा नंबर कायम कर तरमीम करने की मांग की है और आवेदक का यह आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है । तहसीलदार उचेहरा व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ-5/ 12-13 में पारित आदेश दिनांक 7-3-2014 अंतिम आदेश है जो अपील योग्य है जिसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होगी। जब आवेदक को प्रथम अपील का जब उपचार प्राप्त है सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी में विचार करना उचित प्रतीत नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। फलतः सीधे राजस्व मण्ल में प्रस्तुत निगरानी विचार योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर